जिला अभियंता का कार्यालय
जिला परिषद् सिमडेगा

पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या – 02/2016–17 (13वें वित्त आयोग)

जिला परिषद् सिमडेगा के समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदकों से निम्न वर्णित कार्य के लिए मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। जो अंततः लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र एफ–2 एकरारनामा में वर्णित शर्तो के साथ अंकित की जायेगी।

1. विज्ञापन दाता का नाम :– जिला अभियंता, जिला परिषद् सिमडेगा।
2. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि :– 09.06.2016 से 10.06.2016 तक (कार्यालय अवधि में)
3. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :– 13.06.2016 (3:00 बजे अपराह्न तक)
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :– 13.06.2016 (3:30 बजे अपराह्न)
5. परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान :– (क) जिला अभियंता का कार्यालय, जिला परिषद्, सिमडेगा।
   (ख) कार्यालय कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, सिमडेगा।
   (ग) विकास शाखा समाहरणालय, सिमडेगा।
6. निविदा प्राप्ति एवं निविदा खोलने का स्थान :– जिला अभियंता का कार्यालय जिला परिषद्, सिमडेगा।
7. कार्य की विवरणी :–

क्रम	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि(लाख में)	अग्रधन राशि	परिमाण मूल्य	अवधि
1	प्रखण्ड बोलबा अन्तर्गत एक युनिट मार्केट कम्पलेक्स का निर्माण ।	2497000.00	50000	5000	6 माह
	कुल योग	**2497000.00**			

निविदा शर्तें www.jharkhand.gov.in एवं जिला अभियंता, जिला परिषद्, सिमडेगा कार्यालय के सूचना पट्ट में देखा जा सकता है।

जिला अभियंता
जिला परिषद्, सिमडेगा

पत्रांक ....जि0प0जि0अ0 / दिनांक ....

जिला अभियंता का कार्यालय,
जिला परिषद, सिमडेगा

प्रेषक,

जिला अभियंता,
जिला परिषद, सिमडेगा ।

सेवा में,

जिला जनसूचना पदाधिकारी,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
सिमडेगा ।

विषय :— पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 02 / 2016—17 का प्रकाशनार्थ प्रेषण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला परिषद कार्यालय पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या — 02 / 2016—17 एवं तत् संबंधित सी0डी0 आपके सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ समर्पित किया जा रहा है।

अनुरोध है कि उपरोक्त निविदा सूचना को कम—से—कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नकः—
निविदा सूचना की एक प्रति एवं संबंधित सूचना की सी0डी0 ।

विश्वासभाजन,
ह० / —

जिला अभियंता,
जिला परिषद, सिमडेगा ।

ज्ञापांक .... / जि0प0जि0अ0 / दिनांक ....

प्रतिलिपि :— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, (DIO) NIC सिमडेगा / सभी कार्य प्रमण्डल, सिमडेगा जिला / उपायुक्त सिमडेगा / पुलिस अधीक्षक सिमडेगा / उप विकास आयुक्त —सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सिमडेगा / अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष अंचल, राँची / मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, ध्रुर्वा, राँची / सरकार के उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

जिला अभियंता,
जिला परिषद, सिमडेगा ।

निविदा हेतु नियम एवं शर्त्तें

1. प्राक्कलित राशि घट–बढ़ सकती है, तदनुसार अग्रधन की राशि परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्त्तन हो सकता है।

2. निविदादाता को ग्रुप संख्या के अनुसार जिला परिषद सिमडेगा के समुचित श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य है। समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं।

3. परिमाण विपत्र प्राप्त करते समय निविदा कारों के अद्यतन आय कर सफाया प्रमाण पत्र, अद्यतन लेबर लाईसेंस, अद्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र, पैन नम्बर की अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा परिमाण विपत्र निर्गत नहीं किया जायेगा ।

4. आवंटन उपलब्ध होने के पश्चात् ही एकरारनामा एवं भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

5. बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा ।

6. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा ।

7. अग्रधन राशि अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से विधिवत् प्रतिज्ञप्ति कर राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवीं निगम) 3/5 वर्षीय सावधि जमा जो झारखण्ड राज्य के किसी भी डाकघर से निर्गत हो के रूप में जमा करना होगा।

8. परिमाण विपत्र का मूल्य परिमाण विपत्र में अंकित राशि के अनुसार आवेदन के साथ बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक (पंजाब नेशनल बैंक का होना चाहिए) के रूप में जिला अभियंता , जिला परिषद सिमडेगा के पदनाम से निर्गत हो, जो लौटाया नहीं जायेगा। बैंकर्स चेक पंजाब नेशनल बैंक सिमडेगा के मुख्य शाखा में भुगतेय होगा ।

9. संवेदक द्वारा स्थल पर सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा ।

10. निविदादाता को अपना दर अंक एवं शब्द दोनों में दर्ज करना होगा ।

11. कार्य स्थल पर निर्माण सामग्री तथा सीमेन्ट, छड़, चिप्स, ईंट, बालू आदि का गुणवत्ता प्रमाण पत्र के साथ कार्यस्थल पर संवदेक को स्वंय आपूर्ति करनी होगी एवं उनका रख–रखाव तथा व्यवस्था संवदेक को निजी खर्च से वहन करना होगा ।

12. विशेष एवं अन्य कार्यों की जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्य अवधि में संपर्क स्थापित कर किया जा सकता है।

13. ससमय कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र वाले निविदाताओं को प्राथमिकता दी जायेगी ।

14. परिमाण विपत्र क्रय करने के लिए निबंधित संवदेक या उनके द्वारा प्राधिकृत सिर्फ एक व्यक्ति ही कार्यालय में उपस्थित होंगे ।

15. निविदा डालने के पूर्व निविदाकार कार्यस्थल का निरीक्षण कर एवं निर्माण सामग्रियों के स्रोतों की जानकारी प्राप्त कर संतुष्ट हो लेंगे ।

16. गुण नियंत्रण प्रतिवेदन संवेदक को प्रत्येक चालू विपत्र के साथ अपने खर्च पर स्वंय समर्पित करना होगा ।

17. कार्य आवंटित होने के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ कर देना होगा। अन्यथा द्वितीय न्यूनतम निविदाकार को कार्य आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

18. कार्य आवंटित निविदादाता को कार्य के संबंध में एक समयबद्ध कार्यक्रम समर्पित करना होगा जो एकरारनामा का अंग होगा ।

19. निविदा प्राप्ति की तिथि को किसी कारणवश अवकाश घोषित होने पर अगले दिन निविदा प्राप्त की जायेगी ।

20. वैसे संवेदकों की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा जिसके जिम्मे कोई कार्य लंबित हो या विभाग में मामला विचाराधीन हो ।

21. परिमाण विपत्र में अंकित दर से निविदादाता द्वारा उद्धृत अधिक दर मान्य नहीं होगा।

22. संवेदकों को जिला स्तर पर कार्य लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।

23. अनुसूचित दर से 10% (दस प्रतिशत) से कम दर ही मान्य होगा ।

जिला अभियंता
जिला परिषद, सिमडेगा ।